अ0।।ट।प - मोहन सिंह बु.न. 70/15

| दिनांक | आज्ञा पत्र |
|---|---|
| 18/7/24 | पत्रावील पेश । अपील अपीलांट 2021 [illegible] की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible]<br><br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर |

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 70/2015

1 बेगाराम उम्र 65 वर्ष पुत्र स्व. बोदूराम जाति जाट
2 सुखाराम उम्र 58 साल पुत्र स्व. नानगाराम जाति जाट
3 रामलाल उम्र 37 साल पुत्र स्व. पन्नाराम जाति जाट
4 भूराराम उम्र 72 साल पुत्र रताराम जाति जाट
5 रामूराम उम्र 40 साल पुत्र स्व. नाथूराम जाति जाट
6 मोहनराम उम्र 62 वर्ष पुत्र स्व. हुकमाराम जाति जाट
समस्त निवासीगण बालाजी की ढाणी तन झीलमील, तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मोहन सिंह उम्र 52 साल पुत्र स्व. भूरसिंह जाति राजपूत, निवासी बालाजी की ढाणी तन झीलमील तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।
2 हरकंवर उम्र 82 साल पत्नी स्व. रतन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बालाजी की ढाणी, तन झीलमील तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर नोट– नाम हजफ दिनांक 17.02.2016
3 महावीर सिंह उम्र 47 साल पुत्र स्व. रतन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बालाजी की ढाणी, तन झीलमील तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।
4 प्रवीण सिंह उम्र 27 साल स्व. श्री मोहन सिंह पौत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बालाजी की ढाणी, तन झीलमील तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5 नरेश कंवर उम्र 54 साल पत्नी स्व. मोहन सिंह पुत्र रतन सिंह जाति जाति राजपूत निवासी ग्राम बालाजी की ढाणी, तन झीलमील तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

6 भंवर सिंह उम्र 57 साल पुत्र स्व. उम्मेद सिंह पुत्र कलसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम बालाजी की ढाणी, तन झीलमील तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

7 श्रवण सिंह उम्र 74 साल पुत्र स्व. उम्मेद सिंह पुत्र कलसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम बालाजी की ढाणी, तन झीलमील तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

8 किशन सिंह उम्र 52 साल पुत्र स्व. उम्मेद सिंह पुत्र कलसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम बालाजी की ढाणी, तन झीलमील तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

9 पदन सिंह उम्र 26 साल पुत्र रामसिंह पौत्र उम्मेद सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम बालाजी की ढाणी, तन झीलमील तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

10 चन्द्र सिंह उम्र 50 साल पुत्र स्व. उम्मेद सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम बालाजी की ढाणी, तन झीलमील तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

11 तहसीलदार लक्षमणगढ़ भूधारक राजस्थान सरकार।

12 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर।

13 पटवारी हल्का कुमास जागीर तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

14 गिरदावर हल्का नेछवा तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

15 उप पंजीयक लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

16 पंजाब नेशनल बैंक नेछवा, जरिये शाखा प्रबंधक ग्राम नेछवा, तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर–राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्षमणगढ़, कैम्प नरोदड़ा बउनवानी वाद
बेगाराम आदि बनाम मोहन सिंह आदि
मुकदमा नम्बर 239/2013

उपस्थिति :

1. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पवन कुमार स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्षमणगढ द्वारा मुकदमा 239/2013 में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम झीलमील तहसील लक्षमणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 36, 37, 41 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि.
सीकर

संदर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का समुचित अध्ययन नहीं किया एवं अपीलान्टस/वादीगण का 100 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 पारित कर दी। विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि की भौतिक स्थिति एव राजस्व रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया। विचारण न्यायालय की निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने मनमाने व मनगढ़न्त आधारों पर निष्कर्ष निकालकर निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 पारित कर दी जबकि विचारण न्यायालय की निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 जारी रहने से अपीलान्टस के अधिकारों पर गम्भीर कुठाराघात हो रहा है क्योंकि अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि पर वादीगण/अपीलान्टस रिहायशी मकानात बनाकर वर्षों से काबिज आबाद चले आ रहे है जिससे भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि की भौतिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया तथा न ही वादीगण/अपीलान्टस के कब्जे बाबत कोई जांच नहीं की। विवादित भूमि पर वादीगण/अपीलान्टस वर्षों से पुख्ता रिहायशी मकानात बनाकर काबिज आबाद चले आ रहे है तथा अपने अपने रिहायशी मकानों में विद्युत विभाग से घरेलू विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त कर रखे है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के कब्जेशुदा भूमियों का गलत रूप से निर्णय व डिक्री पारित कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अ
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस का जवाब दावा प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किये जाकर विस्तृत साक्ष्य पत्रावली पर लेने के पश्चात निर्णय व डिक्री पारित करनी चाहिए। जबकि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं कर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आवेदन को आधार मानकर आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 पारित कर दी। विचारण न्यायालय में वादीगण/अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड गिरदावरी में भली भांति ताईद होते हुए भी विचारण न्यायालय ने गलत रूप से निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05. 2015 पारित कर दी। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एंव आदेश 01 नियम 8 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होने के बावजूद भी गलत रूप से योग्य विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 36, 37 व 41 पर रेस्पोडेन्ट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा व खसरा नम्बर 36, 37 व 41 में वर्षों पूर्व से ग्रामवासी रिहायशी मकानात बनाकर रह रहे है एवं खसरा नम्बर 41 सार्वजनिक शमशान घाट की भूमि है जिसकी खातेदारी कानूनन किसी भी तरफ से प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस के नाम नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का वाद खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम झिलमिल संवत 2059–2062 के अनुसार खसरा नम्बर 37 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 36 रकबा 0.39 हैक्टेयर पर मोहनसिंह पुत्र भूरसिंह खातेदार काश्तकार दर्ज है। उक्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है खसरा नम्बर 41 रकबा 1.59 हैक्टेयर गे.मु. नाडया दर्ज है जो पुराना रिकार्ड पेश किया है उससे भी खातेदारी इनके पूर्वजों के नाम चली आ रही है लेकिन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

भूमि किस्म गै.मु. आबादी व नाडया दर्ज है। उक्त समस्त तथ्यों व रिकार्ड से आराजी कृषि भूमि नहीं होना प्रकट होता है। वादीगण ने सार्वजनिक हित के मध्य नजर आराजी को ग्राम पंचायत के पक्ष में रास्ता प्रयोजनार्थ दर्ज करने का अनुरोध किया है लेकिन रिकार्ड में दर्ज स्वयं खातेदार ने ही इसका विरोध किया है। गै.मु. आबादी भूमि के संबंध में या रास्ता भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार न होकर सिविल न्यायालय को है। खातेदारी अधिकार न्यायालय बिना युक्तियुक्त कारण के व विधिक प्रकिया की पालना के बिना समाप्त नहीं हो सकते है। लिहाजा प्रस्तुत मामले में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम झिलमिल संवत 2059–2062 के अनुसार खसरा नम्बर 37 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 36 रकबा 0.39 हैक्टेयर पर मोहनसिंह पुत्र भूरसिंह खातेदार काश्तकार दर्ज है। उक्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है खसरा नम्बर 41 रकबा 1.59 हैक्टेयर गे.मु. नाडया दर्ज है जो पुराना रिकार्ड पेश किया है उससे भी खातेदारी इनके पूर्वजों के नाम चली आ रही है लेकिन भूमि किस्म गै.मु. आबादी व नाडया दर्ज है। उक्त समस्त तथ्यों व रिकार्ड से आराजी कृषि भूमि नहीं होना प्रकट होता है। वादीगण ने सार्वजनिक हित के मध्य नजर आराजी को ग्राम पंचायत के पक्ष में रास्ता प्रयोजनार्थ दर्ज करने का अनुरोध किया है लेकिन रिकार्ड में दर्ज स्वयं खातेदार ने ही इसका विरोध किया है। गै.मु. आबादी भूमि के संबंध में या रास्ता भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार न होकर सिविल न्यायालय को है। खातेदारी अधिकार न्यायालय बिना युक्तियुक्त कारण के व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (राजस्थान)

विधिक प्रकिया की पालना के बिना समाप्त नहीं हो सकते है। लिहाजा प्रस्तुत मामले में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम धौजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर